



Website : sudaup.org

दूरभाष- 2286709, 2286710 फ़ैक्स: 0522-2286711

राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ.प्र.

नव वेतना केन्द्र, 10 अशोक मार्ग, लखनऊ-226001

पत्रांक 3338 / अधि0 / दो / 2007

दिनांक 29/11/2017

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी / अध्यक्ष,

जिला नगरीय विकास अभिकरण,

जनपद- स.अ.र. ज.स.पा.क. (स.अ.)

विषय- सूडा के कार्मिकों को वर्ष 2015-16 एवं वर्ष 2016-17 के लिए बोनस भुगतान की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय

राज्य कर्मचारियों, राजकीय विभागों के कार्य प्रभारित कर्मचारियों और सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं व स्थानीय निकायों के कर्मचारियों तथा दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को शासनादेश संख्या-7/2016/वे0आ0-1-940/दस-2016-36(एम)/08 दिनांक 26.10.2016 द्वारा वर्ष 2015-16 के लिये तथा शासनादेश संख्या-7/2017/वे0आ0-1-666/दस-2017-36(एम)/08 दिनांक 11.10.2017 द्वारा 30 दिन के तदर्थ बोनस का भुगतान वर्ष 2016-17 के लिये निर्गत किया गया था।

2. सूडा की शासी निकाय की 33वीं बैठक दिनांक 24.10.2017 में उपरोक्त शासनादेशों के अनुसार सूडा/डूडा में कार्यरत कार्मिकों को बोनस भुगतान किये जाने हेतु अनुमोदन प्रदान कर दिया गया है।

3. सन्दर्भित शासनादेश में अंकित बिन्दु संख्या-3 एवं 5 का अनुपालन सुनिश्चित कराते हुये डूडा में कार्यरत पूर्ण कालिक कार्मिकों को वित्तीय वर्ष 2015-16 एवं वर्ष 2016-17 का बोनस भुगतान कराने का कष्ट करें। उक्त शासनादेश सूडा की वेबसाइट www.sudaup.org पर उपलब्ध है।

भवदीय

(शैलेन्द्र कुमार सिंह)
निदेशक